न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज

फाईनल डिक्री सं0–04/2017

CIS NO. FD-19/2018

बीबी जुबैदा..डिक्रीदार

बनाम

बीबी जाहिदा एवं अन्य...निर्णीतऋणी

DATE	ORDER	REMARKS
11.04.2023	निर्णीतऋणी की ओर से पैरवी है। अभिलेख आज शेख मुजामिल निर्णीतऋणी की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 16.02.2018 पर आदेश हेतु नियत है। **आदेश (ORDER)** शेख मुजामिल निर्णीतऋणी की ओर से अपने आवेदन दिनांक 16.02.2018 में कहा गया है कि प्रस्तुत वाद बंटवारा वाद सं0–123/1979 दिनांक 16.07.2017 को पारित निर्णय एवं डिक्री में फाईनल डिक्री हेतु दाखिल किया गया है। आवेदक प्रस्तुत वाद में आज हाजिर होकर प्रार्थना करते है कि आवेदक द्वारा स्वत्व अपील वाद सं0–52/2017 जिला एवं सत्र न्यायाधीश बेतिया, प0 चम्पारण के यहाँ बंटवारा वाद सं0–123/1979 के विरूद्ध दाखिल कर रखी है जो अपर जिला जज तृतीय बेतिया, प0 चम्पारण के यहाँ लंबित है। जबतक स्वत्व अपील सं0–52/2017 का निस्तारण नही हो जाता तबतक प्रस्तुत वाद की कार्यवाही रोकने की कृपा करें अन्यथा आवेदक को अपूर्णीय क्षति होगी। डिक्रीदार की ओर से निर्णीतऋर्णी के आवेदन का प्रत्युत्तर दिनांक 20.04.2018 को दाखिल किया गया तथा कहा गया कि आवेदन पोषणीय नही है, खारिज योग्य है। वर्तमान फाईनल डिक्री वाद बंटवारा वाद सं0–123/1979 जो दिनांक 26.07.2017 के न्यायालय के आदेश द्वारा निर्णीत एवं डिक्री किया गया, से उत्पन्न हुआ है तथा फाईनल डिक्री की कार्यवाही को स्थागित करने का कोई कारण नही है। अतः निर्णीतऋर्णी के आवेदन को खारिज योग्य बताया गया। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद फाईनल डिक्री हेतु लाया गया है। जिसमें उपस्थिति पूर्ण हो चुकी है। आवेदक द्वारा मूल बंटवारा वाद सं0–123/1979 के निर्णय डिक्री के विरूद्ध अपील दाखिल	

लगातार 11.04.2023	की हुई है परंतु आज दिनांक तक अपील वाद सं0–52/2017 में न्यायालय का कोई स्थगन आदेश प्राप्त नही हुआ है। अतः फाईनल डिक्री की कार्यवाही को स्थगित करना उचित प्रतीत नही होता है। अतः आवेदक का आवेदन दिनांक 16.02.2018 को खारिज किया जाता है। वाद दिनांक 15.05.2023 को सर्वेज्ञात अधिवक्ता के प्रतिवदेन हेतु नियत। लेखापित अवर न्यायाधीश, प्रथम नरकटियागंज	